तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
13/08/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता श्री नरपतसिंह राजपुरोहित व अप्रार्थी अधिवक्ता श्री नेकाराम चौधरी की बहस सुनी गई। विद्वान् वकील अप्रार्थीगण श्री नेकाराम चौधरी द्वारा बहस में दलील दी गई कि प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट का पेश किया गया है, परन्तु इसके समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जो यह प्रमाणित करे कि अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के किस आदेश की अवमानना की गई है। इसके विपरित प्रार्थी अधिवक्ता श्री नरपतसिंह राजपुरोहित ने अप्रार्थी अधिवक्ता की दलीलो का खण्डन कर दलील दी कि न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में पारित निर्णय की पालना नही की जाने से प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। इस संबंध में प्रार्थना पत्र के संलग्न राजस्व मुकदमा नंबर 101/2011 अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बअनवान ऐजी देवी बनाम भीमाराम में दिनांक 29.05.2015 को कैंप कोट बालियान में राजीनामा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र, राजीनामा एवं दिनांक 29.05.2015 को पारित आदेश का अवलोकन किया। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी वादीनी को 1,25,000/- रूपये अदा करने पर वादीनी 800 वर्गमीटर भूमि, आधा बीघा की रजिस्ट्री करायेगी, शेष भूमि का कब्जा प्रतिवादी वादीनी को सुपुर्द करेंगे। इस प्रकार प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि बेदखली के वाद को दोनों पक्षों की सहमति से मजमा ए आम में निर्णीत किया गया। विधि अनुसार न्यायालय निर्णय की पालना के लिये आदेश 21 दीवानी प्रकिया में विधि द्वारा स्थापित नियमों के तहत आवेदन किये जाने पर न्यायालय निर्णय की पालना के लिये संबंधित को लिखा जाता है। उक्त आदेश में न तो किसी प्रकार का स्थगन आदेश है, जिसकी अवमानना अप्रार्थीगण द्वारा की गई हो, ऐसा न तो प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों से साबित है एवं न ही प्रार्थी द्वारा कोई पर्याप्त दस्तावेज पेश किये है। इस संबंध में आदेश 39 नियम 2ए सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार **2क व्यादेश की अवज्ञा या भंग का परिणाम**-(1) नियम 1 या नियम 2 के अधीन दिये गये किसी व्यादेश या किये गये अन्य आदेश की अवज्ञा की दशा में या जिन निबंधनों पर व्यादेश दिया गया था या आदेश किया गया था उनमें से किसी निबंधन के भंग की दशा में व्यादेश देने वाला या आदेश करने वाला न्यायालय या ऐसा कोई न्यायालय, जिसे वाद या कार्यवाही अंतरित की गई है, यह आदेश दे सकेगा कि ऐसी अवज्ञा या भंग करने के दोषी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जाये और यह भी आदेश दे सकेगा कि तीन मास से अनधिक अवधि के लिये सिविल कारागार में तब तक निरूद्ध किया जाये जब तक कि इस बीच में न्यायालय उसकी निर्मुक्ति के लिये निर्देश न देदे। इस प्रकार विधिक प्रावधानों के अनुसार व्यादेश की अवज्ञा होने पर ही आदेश 2क के अंतर्गत ही न्यायालय अवज्ञा की कार्यवाही कर सकता है। उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की अस्थाई आज्ञाप्ति/निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रमाणित नहीं है.। जब अस्थाई निषेधाज्ञा ही जारी नहीं हुई है, तब अप्रार्थीगण द्वारा किस प्रकार की अवज्ञा की गई है यह प्रथम दृष्टया ज्ञात नहीं है। विधिक प्रावधानों के अनुसार विधि में किसी अनुतोष के लिये प्रावधानों के मौजूद रहते हुये अन्य प्रावधानों के तहत विधिक प्रावधानों को ओवरटेक करते हुये किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थीनी का उक्त प्रकरण भी न्यायालय आदेश की पालना कराये जाने बाबत है, तथा न्यायालय आदेश भी लोक अदालत में राजीनामा के जरिये हुआ है। इसमें यदि पक्षकार सहमत नहीं है तो प्रार्थीया विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी वाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भी स्वतंत्र है। लिहाजा प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 सीपीसी बाबंत न्यायालय आदेश की अवज्ञा का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) ★

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली